भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 31B/2018-19

1.सुदर्शन महतो 2. ज्योत्सना महतो **बनाम** तुष्टबती महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
25-08-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1428 दिनांक 01.08.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 31B/2018-19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1.सुदर्शन महतो पिता स्व0 रमेश महतो, सा0-रंगपुर, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावॉ 2. श्रीमति ज्योत्सना महतो उर्फ जुसन महतानी पति-श्री जयदेव महतो, सा0-मानिक बाजार, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला -खरसावां ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता श्रीमति तुष्टबती महतो पति-श्री बाबुराम महतो, ग्राम-महुलडीह, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
किता	273	42	139	0.40ए0
			154	0.41½ए0
पारलपोसी	304	78	02	0.57ए0
			कुल-	1.38.5ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि दो रैयतों द्वारा क्रय की गयी भूमि है। आवेदक में से एक जमाबंदी रैयत है। एक रैयत के मृत्यु उपरांत उनके पति द्वारा आवेदन दिया गया है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। जिसमें से 1.38.5 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 4.27 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 1.38.5एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।